

सेवा में,

अंगण अफिफारी

धनवाद।

विषय:- गापी करने में रुकावट के संबंध में।

महाभाग,

आदिमानुसार आवेदक प्रमाण राम पिता-वृन्दा

राम साधु गिजरसोता के भौजा-बुरनपतारी खाना न
न प्लॉट नं 230 रुकवा 0.85 एकड़ के मध्ये 0.75 एकड़
जमीन की गापी हेतु सरजमीन पर गये।

गापी स्थल पर श्री प्रमाण राम
(आवेदक), देना राम पिता-शंभू वीरू राम, करण पास-
वान पिता शंभू - गौरिलाल पासवान, राजदेव पासवान
पिता- नाशत्रण पासवान सभी साक्षीगण- गिजरसोता
नूर मोहम्मद अंसारी (ग्रामीण अमीन-जोरीबहुवा)
एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।

भौजा-बुरनपतारी के सर्वे नक्शा
से मिलान कर प्लॉट नं 230 कुल रुकवा 0.85 एकड़
के मध्ये कन्डोयस्की रुकवा 0.75 एकड़ जमीन गापी
के क्रम में भौजा-बुरनपतारी के ग्रामीण महिलाएँ
सरजमीन पर जाकर गापी करने से रोक दिया
जिसके कारण गापी कार्य पूर्ण नहीं किया गया
उक्त जमीन प्रमाण राम को कन्डोयस्की के मा नं
39/1985-86 में सरकार द्वारा प्रदत्त है।

प्रतिवेदन आपकसक कार्यालय

प्रापित।

(Signature)
26/07/2017
अ-चण अमीन
धनवाद।

12/07/17

गापी कार्य रोड नं
उपजेका लखनऊ

25/7/17